

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :-17-क्षे0स्था0(प्रति0)-25/2012-खंड-2

पटना, दिनांक

आदेश

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बंदोबस्त कार्यालय में पूर्व से सृजित पद पर पदस्थापित निम्नांकित कर्मियों को कार्यरहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सामने कॉलम - 5 में अंकित बंदोबस्त कार्यालय में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन का कार्यालय	नवपदस्थापित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री जियाउर रहमान खाँ	निम्नवर्गीय लिपिक	बेगूसराय	दरभंगा	
2	श्री धनन्जय कुमार	उच्चवर्गीय लिपिक	सारण	पटना	
3	श्री दिनेश कुमार दिनकर	निम्नवर्गीय लिपिक	खगड़िया	सहरसा	
4	श्री अनिल प्रसाद	अनुसेवक	मुंगेर	भोजपुर	
5	श्री विनय कुमार प्रसाद	उच्चवर्गीय लिपिक	मुंगेर	सिवान	

- संबंधित समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सभी कर्मियों को कार्यरहित में बिना प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किए स्थानान्तरित कार्यालय हेतु अविलंब विरमित कर दें। स्थानान्तरित कर्मियों के माह अगस्त, 2015 के वेतनादि का भुगतान नवपदस्थापन कार्यालय से किया जाएगा।
- क्रमांक 01 से 05 के कर्मियों का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है, उन्हें स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/-

(मिथिलेश मिश्र)

निदेशक

ज्ञापांक :- 17-क्षे0स्था0(प्रति0)-25/2012-खंड-2

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि स्थानान्तरण आदेश के आलोक में स्थानान्तरित कर्मियों को नव पदस्थापित बंदोबस्त कार्यालय में योगदान देने हेतु स्थानीय व्यवस्था कर अविलंब विरमित कर दें।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक :- 17-क्षे0स्था0(प्रति0)-25 / 2012-खंड-2

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक

ज्ञापांक :- 17-क्षे0स्था0(प्रति0)-25 / 2012-खंड-2

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
निदेशक

ज्ञापांक :- 17-क्षे0स्था0(प्रति0)-25 / 2012-खंड-2 -1332 पटना, दिनांक 30/07/15

प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/7/15
निदेशक